न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
013/2020(रा.अ.) (GCMS 2020/00274)	15.07.2020	25.02.2025

अनवान

भैरूलाल मुतबन्ना श्यामलाल प्राकृतिक पिता नन्दराम ढोली (भाट) आयु वयस्क निवासी रावलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)। (मो. 8306880072)

अपीलार्थी

बनाम

1 श्रीमती टोमा पुत्री बालु ढोली आयु 60 वर्ष निवासी जवासिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :– भैरूलाल गुर्जर — अपीलार्थी
छोगालाल जाट — प्रत्यर्थी संख्या 1
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — प्रत्यर्थी संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार निम्बाहेडा बमामले नामान्तरकरण संख्या 306 निर्णय दिनांक 21.06.2018

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा राजस्व अभियान के दौरान पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 21.06.2018 न्याय नियम विधि विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य है।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.09.2020 को प्रत्यर्थी संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रत्यर्थी संख्या 2 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। दिनांक 14.12.2021 को प्रत्यर्थी संख्या 1 की जवाब प्रार्थना–पत्र बंद किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति से स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस मूल पत्रावली हेतु रखा गया। प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थी खातेदार की बिना जानकारी के आदेश पारित किया गया, क्योंकि इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बाबत् अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई। निर्णय की जानकारी विपक्षीया के कुछ समय पहले ऐलानिया धमकी दी कि वह यह जमीन तो मेरे नाम पर करा ली है जिस पर पटवारी के पास दिनांक 18.06.2020 को नकल जमाबंदी प्राप्त होने पर हुई। नकल मिलते ही अन्दर अवधि अपील बिना किसी देरी के पेश है। उक्त हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि मामला बहुत बडी जायदाद का है। जिससे मयाद बाबत् नरमी का रूख अपनाया जाकर अपील को मयाद में शुमार फरमाई जाने का आदेश दिलवाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मियाद प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस मियाद प्रार्थना–पत्र में बताया कि नामान्तरकरण दिनांक 21.06.2018 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 16.06.2020 को होने की बात पूर्णतया गलत है, अपितु नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही है। अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है, कोई सद्भावना अथवा सद्आश्यता का नहीं है। जिससे अपील प्रस्तुती में हुये विलम्ब को कण्डोन किये जाने का प्रश्न ही नहीं है। इसी ईश्तदुआ के साथ के विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस मियाद प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया की माननीय शीर्ष न्यायालयों ने भी दफा 05 कानून मियाद प्रार्थना–पत्र पर उदारता का रूख अपनाते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता रहा है, एवं निर्णय दिनांक 21.06.2018 की नकल दिनांक 18.06.2020 को प्राप्त हुई है एवं इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 के साथ स्वयं का सच्चा शपथ–पत्र पेश किया गया है, अतः प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई समस्त देरी को कन्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मियाद प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण को मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः मियाद प्रार्थना–पत्र के निर्णय को रिजर्व करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मूल पुरूष भागीरथ के जायन्दा पुत्री श्यामलाल जो अपीलार्थी के सगे काका है। श्यामलाल के जायन्दा पुत्र, पुत्री व पत्नी नहीं होने से अपीलार्थी को बचपन से ही अपने साथ गोद पुत्र के हिस्से से लालन–पालन कर परिवरिश की है। अपीलार्थी मृतक श्यामलाल के गोद पुत्र की हैसियत से सभी प्रविष्टियों में जिसमें राशन कार्ड, शोक–पत्रिका, आधार कार्ड सभी में अपीलार्थी को गोद पुत्र अंकित करवा रखा है। अपीलार्थी ने दिनांक 19.03.2017 को उनकी सेवा करते हुवे मृत्यु हो जाने पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समस्त अंतिम संस्कार व सामाजिक दायित्व का निर्वाह भी मृतक श्यामलाल के पुत्र की हैसियत से ही पूर्ण किये है।

तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह अवैध इंतकाल पारित किया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में विरासती इंतकाल फैसल करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को ही है। जब तक ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का विवादित तथ्य बताकर निर्णय करने में असमर्थता जाहिर नहीं करे तब तक प्रथम 45 दिन तक तो तहसीलदार को इंतकाल फैसल करने का अधिकार नहीं रहता है।

प्रत्यर्थीया चतुर महिला होकर भू–माफिया गिरोह के लिए एजेन्ट का काम करती है व स्वछन्द विचरण करने वाली बालु राम ढोली निवासी जवासिया की पुत्री है तथा वह ग्राम रावलिया में श्यामलाल की पत्नी के रूप में निवासरत नहीं रही है, न ही इस बाबत् कोई भी आज तक प्रत्यर्थी के पास श्यामलाल के नाम से वैध दस्तावेज किसी भी प्रकार का नहीं होने पर भी तहसीलदार का उक्त निर्णय निरस्त योग्य है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में नामान्तरकरण संख्या 306 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करायाा एवं बताया कि उक्त नामान्तरकरण राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 21.06.2018 को नियमानुसार दायर किया गया। जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई एवं बाद जांच रिपोर्ट/परीक्षण के तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा स्वीकृत किया गया है, एवं उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व रूप से विधिक प्रावधानों के अध्यधीन नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा विरासत के नामान्तरकरण में मृतक श्यामलाल का सजरा प्रस्तुत किया गया है जिसकी तस्दीक ग्राम पंचायत द्वारा की गई है। इस आशय का अंकन नामान्तरकरण की जांच के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किया गया है, जिससे उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही में अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारीज योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमों स्वयं स्वीकार किया गया है कि मृतक खातेदार श्यामलाल की मृत्यु दिनांक 19.03.2017 को हो गई, जिसका विरासतन नामान्तरकरण दिनांक 21.06.2018 को पारित किया गया है, जो कि मृतक की मृत्यु दिनांक 19.03.2017 के लगभग 15 माह पश्चात् निर्णित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा पर क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। नामान्तरकरण की एक फिस्कल कार्यवाही है जो कि राजस्व रेकार्ड के अद्यतन किये जाने के संबंध में निष्पादित की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार से हक अधिकार तय नहीं किये जाते है। हक अधिकार सक्षम न्यायालय में वाद पत्र के माध्यम से ही तय किये जा सकते है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया हल्का पटवारी भावलिया द्वारा नामान्तरकरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 306 नियमानुसार दायर किया गया। जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक मांगरोल द्वारा की गई एवं बाद जांच रिपोर्ट/परीक्षण के स्वीकृत किया गया है, उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है। इसके साथ ही विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा इस इंतकाल बाबत् किसी भी पक्ष को अथवा उनके हक हकूकों से संबंधित विधिक जानकारी भी प्राप्त नहीं की। बिना किसी साक्ष्य सबूत के पटवारी से जो सजरा इंतकाल की पुश्त कर लिखा प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पत्नी के रूप में अंकित कर दिया व पूर्णतया बनावटी होकर निरस्त होने योग्य है, क्योंकि राशन कार्ड में श्यामलाल के साथ उसमें पत्नी रेखा बाई का नाम अंकित था। उसको भी तत्कालीन ग्राम पंचायत ने रेखा बाई के अन्यत्र पुर्नः विवाह कर लेने से उसका नाम विलोपित कर अपने लघु हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जा चुका है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 306 निर्णय दिनांक 21.06.2018 निरस्त फरमाते हुये अपीलार्थी का नाम श्यामलाल की विरासत की जगह प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर नामान्तरकरण पंजिका में वर्णित दोनो ही खातों में अपीलार्थी का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ''**अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा मौजा रावलिया के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 306 निर्णय दिनांक 21.06.2018 विधि अनुसार निर्णित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?**''

हस्तगत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 306 दिनांक 21.06.2018 मौजा रावलिया के मृतक खातेदार श्यामलाल पिता भागीरथ ढोली की मृत्यु होने से विरासतन नामान्तरकरण निर्णित किया गया है। इस तथ्य को उभयपक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान प्रावधित किये गये है।

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land tine caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance, the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

नामान्तरकरण में नियम 121 में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियमों के आधार पर नियमानुसार प्रमाणित किया जा सकता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 306 के कॉलम संख्या 16 में हल्का पटवारी द्वारा मुताबिक विरासत नामान्तरकरण दायर किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक मांगरोल द्वारा 21.06.2018 को किया जाना अंकित है, जिसमें शपथ–पत्र एवं ग्राम पंचायत के आदेश अनुसार अंकन दुरूस्त होना प्रतिवेदित किया गया है। जिसे अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 21.06.2018 को स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियमों के नियम 133 के अन्तर्गत सह–दायित्व का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

प्रकरण में मुख्य तथ्य वक्त निर्णित नामान्तरकरण संख्या 306 दिनांक 21.06.2018 अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही संपादित की गई है अथवा नहीं। इन्ही तथ्यों का समाचीन विश्लेषण किया जाना उचित है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमों में सुनवाई के अवसर संबंध में प्रश्न उठाया गया है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **RRD 1993** पेज संख्या **88-90** में राजस्थान भू–अभिलेख नियमों के नियम 133(ग) को उद्धृत किया –

‘‘नामान्तरकरण करने से इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता है कि उसमें यह कहा गया हो कि अप्रार्थीगण का प्रथागत या कानूनी रूप से ऐसे अन्य संक्रमण का अधिकार नहीं था। नामान्तरकरण की प्रकिया का स्वरूप फिस्कल है। यदि किसी पक्षकार को इससे असंतोष हो तो वह नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध नियमित वाद ला सकता है।’’

न्यायालय हाजा के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि राजस्व अभिलेखों में अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार दायर किया गया। पटवारी एवं तहसीलदार नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु कानूनी रूप से बाध्य है। इसके साथ ही हस्तगत अपील में नामान्तरकरण संख्या 306 निर्णय दिनांक 21.06.2018 राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के अनुसार पटवारी द्वारा नामान्तरकरण में उल्लेखित किया गया है कि नामान्तरकरण मुताबिक शपथ–पत्र एवं तस्दीकशुदा विरासत अनुसार नामान्तरकरण दायर किया है, ऐसी स्थिति में वक्त निर्णय नामान्तरकरण संख्या 306 दिनांक 21.06.2018 को निर्णित किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित नहीं होना जाहिर होता है।

इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त विचारण है, इसमें पक्षकारान के हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है कि अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करते समय विधि के उपाबंधों की पालना की जाकर विधिक निर्णय नियमानुसार पारित किया गया है। आराजीयात जैरबहस में अपीलार्थी को हक हिस्सा निहित होने का प्रश्न है इस संबंध में सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर सकता है, जिससे हक अधिकार सक्षम न्यायालय स्तर से ही निर्धारित किये जा सकते है, ऐसी स्थिति में वक्त निर्णय नामान्तरकरण संख्या 306 दिनांक 21.06.2018 को निर्णित किये जाने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं होना जाहिर होता है। अतः नामान्तरकरण के संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, जिससे अपील अपीलार्थी सारहीन होकर बलहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी अपने मियाद प्रार्थना–पत्र में नामान्तरकरण संख्या 306 की जानकारी दिनांक 16.06.2020 को होना अंकित है, एवं नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 18.06.2020 को प्राप्त होना अवगत कराया गया है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में दिनांक 15.07.2020 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि जानकारी दिनांक 16.06.2020 से अन्दर अवधि है। पक्षकार को अपने अधिकारों के संबंध में सजग रहना अपेक्षित है, एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होना संदेह की स्थिति को उत्पन्न करता है, किन्तु विभिन्न उच्च न्यायालयों प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दु को उदारता पूर्वक देखा जाकर प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिये, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रस्तुती में हुये समस्त विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित होगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 306 निर्णय दिनांक 21.06.2018 के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने पर न्यायालय के समक्ष प्रमाणित पाया गया है कि निर्णय दिनांक 21.06.2018 में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है एवं अपील अपीलार्थी सारहीन होकर बलहीन होना पाई गई है, जिससे अपील अपीलार्थी सारहीन होकर बलहीन होने से खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा मौजा रावलिया पटवार हल्का भावलिया तहसील निम्बाहेडा के नामान्तरकरण संख्या 306 निर्णय दिनांक 21.06.2018 की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **25.02.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official